बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 30 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 07 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

बीजेपी कार्यकर्ता ने पहले दिल्ली, फिर बिहार में डाला वोट... आप नेता सौरभ भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने एक शख्स की तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया, जिसमें वह उसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग करते दिखाया और अब बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग करते दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सुबूत आपके सामने है। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 05 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद आज 06 नवंबर 2025 को बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सिवान में वोट डाला।

फेफड़ों पर प्रदर्शन का दबाव; दिल्ली की हवा में घुलते जहर पर शशि थरूर का तंज

नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम दिल्ली में दोहरी चुनौती लेकर आता है। इसी मौसम से ठीक पहले दीपावली जैसे त्योहार में होने वाली आतिशबाजी भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक असर डालती है। गत दिनों 20 अक्तूबर को दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को सांस से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस जटिल चुनौती के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तंज कसते हुए कहा, प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण नवंबर में फेफड़े पर प्रदर्शन का दबाव और बढ़ेगा।आम तौर पर अपनी कठिन अंग्रेजी शब्दावली को लेकर चर्चा में रहने वाले थरूर ने लगातार बिगड़ती दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को लेकर एक्स हैंडल पर कटाक्ष किया। इस बार हिंदी भाषा में जारी बयान में थरूर ने लिखा, जैसे-जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉरमेंस का बोझ बढ़ेगा!

उन्होंने ये टिप्पणी छह नवंबर की सुबह 10 बजे की एक्यूआई की स्थिति को लेकर की। गुरुवार को दिल्ली में धुंध भरी सुबह और वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब और बेहद खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर चिंता जताई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम तक एक्यूआई खराब होकर बहुत खराब श्रेणी में जाने की

आशंका है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण के कारण दिल्ली के अस्पतालों में सांसद लेने में तकलीफ की शिकायत करने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनसाइटिस के मामलों में 22 से 25 फीसद तक उछाल आने की चेतावनी दी है। वायु प्रदूषण के कारण सेहत पर होने वाले असर को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पीजीआईएमईआर के प्रोफेसर डॉ पुलिन गुप्ता ने बताया, कई मरीज साइनसाइटिस, नाक बहना, नाक से खून आना, सूखापन, आंखों से पानी आना, आंखों का लाल होना और नजर धुंधली होने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। डॉ पुलिन गुप्ता ने कहा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) या तपेदिक जैसी बीमारियों से पहले से ग्रस्त लोग प्रदूषण से जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके अंग अत्यंत संवेदनशील होते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों-विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों से अपील की है कि घर से बाहर निकलने से परहेज करें। घरों से बाहर निकलते समय एहतियातन मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार का में एक्यूआई घटने की खबर आई। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक एक्यूआई के आंकड़े में गिरावट दिल्ली की हवा साफ होने का संकेत नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में बीते लगभग ढाई हफ्ते से सांस लेने में हो रही परेशानी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के ठोस उपाय करने की जगह आंकड़ों का खेल किया जा रहा है। एक्यूआई के आंकड़े भले ही कम दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है।

क्या बदल जाएगा चांदनी चौक का नाम? बीजेपी नेता ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर की मांग

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के नेता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने का आग्रह किया है। यह अपील गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत बरसी के पवित्र अवसर पर की गई है जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र का नाम बदलकर शीशगंज कर दिया जाए। बलियावाल ने अपने पत्र में केवल चांदनी चौक का नाम बदलने तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि निकटतम मेट्रो स्टेशनों का नाम गुरु तेग बहादुर के उन साथियों को समर्पित किया जाए जिन्होंने उनके साथ शहादत दी थी। ये साथी थे भाई मति दास, भाई सती दास और भाई दयाल जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था।

बीजेपी नेता ने अपने पत्र में गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय बलिदान को याद किया है। बलियावाल ने लिखा कि वह गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के इस पवित्र अवसर पर हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के बलिदान को एक सिख और एक भारतीय दोनों के रूप में गहरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और मानवता की अंतरात्मा की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। बलियावाल ने पत्र में 1675 के मुगल शासन के दौरान हुए धार्मिक उत्पीड़न की भयावहता का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि औरंगजेब के शासन में धार्मिक उत्पीड़न अपने चरम पर था जहां मंदिरों को नष्ट किया गया धर्मग्रंथों को जलाया गया और निर्दोष लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान पंडित कृपा राम के नेतृत्व में 500 से अधिक कश्मीरी पंडितों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर से मुलाकात की। उनकी पीड़ा सुनकर गुरु साहिब ने सर्वोच्च बलिदान देने का निर्णय लिया। बलियावाल ने याद दिलाया कि गुरु तेग बहादुर का सिर उसी स्थान पर काटा गया था जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। यह स्थान साहस, बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक है। बीजेपी नेता ने अपने पत्र में जोर दिया कि चांदनी चौक का नाम बदलकर शीशगंज करना और आसपास के मेट्रो स्टेशन को इन महान शहीदों को समर्पित करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय से कहीं बढ़कर होगा। यह देश के इतिहास और धार्मिक सहिष्णुता के मूल्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

गर्भ में पल रहे भ्रूण तक भी पहुंच रहा प्रदूषण का असर, आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में हुआ खुलासा

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर सिर्फ वयस्कों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक पर पड़ रहा है। ऐसे में गर्भ में पल रहा शिशु भी सुरक्षित नहीं है। सर्दी की सुबह, कोहरा नहीं धुआं है, जो सांस में घुलते ही खराश, गले में दर्द के साथ कई बीमारियां लेकर आता है। लेकिन सबसे यादा डर उस मां को है, जिसके गर्भ में नन्हा मेहमान पल रहा है। प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (पीएम 2.5) और जहरीली गैसें मां के शरीर के जरिए सीधे बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। डॉक्टरों की चेतावनी है कि ये जहरीला कोहरा अस्थमा, समय से पहले जन्म और विकास में रुकावट जैसी भयानक समस्याएं पैदा कर सकता है। वहीं, आईआईटी दिल्ली समेत कई प्रमुख शोध संस्थानों द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह सामने आया है कि गर्भावस्था के दौरान हवा में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ने से बच्चों के समय से पहले जन्म लेने और कम वजन के साथ पैदा होने की संभावना में काफी वृद्धि होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब गर्भवती महिला प्रदूषित हवा में सांस लेती है, तो सूक्ष्म कण फेफड़ों के जरिए खून में घुल जाते हैं और प्लेसेंटा तक पहुंच जाते हैं। इससे भ्रूण की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है। गर्भ में बच्चे की सभी शारीरिक संरचनाएं एक निश्चित समय अवधि के दौरान विकसित होती हैं। इस दौरान यदि किसी भी तरह की बाहरी नकारात्मक परिस्थिति, जैसे प्रदूषित हवा, शरीर में प्रवेश करती है, तो यह सीधा बच्चे के अंगों के विकास, फेफड़ों की क्षमता, दिमागी विकास और प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव डाल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जन्म के बाद ऐसे बच्चे सांस की दिक्कत, एलर्जी, कम वजन और बार-बार बीमार होने की समस्या से जूझ सकते हैं। हाल ही में आईआईटी दिल्ली और अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान पीएम 2.5 का स्तर बढ़ने से बच्चों के जन्म में समय से पहले पैदा होने और कम वजन के साथ जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन के अनुसार, जब हवा में पीएम 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर जाता है, तो इससे गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर गंभीर असर पड़ता है। अध्ययन में यह पाया गया कि हर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पीएम 2.5 के बढ़ने पर कम वजन वाले बच्चों के जन्म की दर में 5 फीसदी और समय से पहले जन्म की दर में 12 फीसदी तक वृद्धि हो जाती है।

दिल्ली पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का किया पर्दाफाश, चार गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की साइबर पश्चिम इकाई ने सप्ताह भर चले विशेष अभियान में चार अंतरराष्ट्रीय साइबर आपराधिक गिरोहों का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कुल 34 लाख रुपए से अधिक की ठगी की राशि बरामद करने के सुराग मिले. अभियान के दौरान 7 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेक बुक, 1 पासबुक और 2 सिम कार्ड बरामद हुए.यह कार्रवाई इंस्पेक्टर विकास कुमार (थाना प्रभारी, साइबर वेस्ट) और एसीपी ऑप्स विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी पश्चिम शरद भास्कर

दाराडे (आईपीएस) के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई. शिवा (19 वर्ष, बेरोजगार, 8वीं पास) और पुनीत कुमार उर्फ साहिल (22 वर्ष, बेरोजगार 12वीं पास) को गिरफ्तार किया गया. 8 जुलाई 2024 को एक शिकायत में पीड़ित ने बताया कि फर्जी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बहाने 11,75,228 रुपए की ठगी की गई. एसआई अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल कपिल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण से हरिजन बस्ती, बल्लभगढ़ से दोनों को पकड़ा.

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खच्चर बैंक खातों का संचालन कर ठगी की राशि ट्रांसफर करते थे. अंकित सोनकरिया (19 वर्ष, फूल विक्रेता, 8वीं पास) को उदयपुरिया गांव से गिरफ्तार किया. पीड़ित से गूगल मैप्स रिव्यू के नाम पर 2,74,520 रुपए ठगे गए. एसआई तरुण राणा, हेड कांस्टेबल अमर और कांस्टेबल दीपेंद्र की टीम ने छापेमारी की. आरोपी कमीशन आधारित बैंक खाते चलाता था.द लवलेश कुमार (22 वर्ष, फार्मेसी डिप्लोमा, दवा पैकिंग फैक्ट्री कर्मी) और हरभजन (24 वर्ष, बीएससी स्नातक, निजी अस्पताल सहायक) को पकड़ा गया. शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह से मीटर सत्यापन की फर्जी एपीके इंस्टॉल कर 16,52,000 रुपए ठगे, जिसमें 6 लाख रुपए नकली खातों से ट्रांसफर हुए.एसआई अंकुर ओहलान, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने गुड़गांव, नोएडा व अलीगढ़ में छापे मारे. आरोपी कई बैंकों में कमीशन आधारित खाते संचालित करते थे.

वंदे मातरम के 150 वर्ष : पीएम मोदी करेंगे स्मरणोत्सव का उद्घाटन, एक साल तक चलेगा कार्यक्रम

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के एक साल तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। यह कार्यक्रम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मोदी शुक्रवार सुबह लगभग 9:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के एक साल तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 7 नवंबर, 2025 से 7 नवंबर, 2026 तक चलने वाला है। पीएम मोदी इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। बता दें कि इस वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था।

केंद्र ने फिर की ट्रिब्यूनल सुधार कानून पर सुनवाई टालने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर कड़ा रुख दिखाया, जब केंद्र ने ट्रिब्यूनल सुधार कानून 2021 के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई टालने की मांग की। अदालत ने कहा कि यह कोर्ट के साथ बहुत अनुचित व्यवहार है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पिछले दिनों यह याचिका दी थी कि मामला पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाए। अदालत ने उस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार ने यह मांग सुनवाई के अंतिम चरण में रखकर गलत किया है। ट्रिब्यूनल सुधार (विवेकशीलता और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2021 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इस कानून के तहत कुछ अपीलीय ट्रिब्यूनल, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलीय ट्रिब्यूनल, को खत्म कर दिया गया था। इसके साथ ही, ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़ी कई शर्तें भी बदली गईं। इसी कानून को मद्रास बार एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथकरण के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अदालत की नाराजगी क्यों?

नई दिल्ली। गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में कहा कि अटॉर्नी जनरल

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में व्यस्त हैं, इसलिए शुक्रवार की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने सख्त लहजे में कहा, हमने उन्हें पहले भी दो बार समय दिया है। यह अदालत के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप 24 नवंबर के बाद सुनवाई चाहते हैं तो साफ-साफ बताइए। मैं 23 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, फिर हम फैसला कब लिखेंगे? सीजेआई ने यह भी पूछा कि अगर अटॉर्नी जनरल व्यस्त हैं, तो सरकार के इतने सारे एएसजी क्यों नहीं पेश हो सकते? उन्होंने कहा कि अदालत ने शुक्रवार का दिन केवल इस मामले के लिए खाली रखा है ताकि वीकेंड में फैसला तैयार किया जा सके। आखिरकार, अदालत ने तय किया कि शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार (मद्रास बार एसोसिएशन की ओर से) की बहस सुनी जाएगी, और सोमवार को अटॉर्नी जनरल को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जाएगा।

सीजेआई ने आगे कहा कि, अगर वे नहीं आते, तो हम सुनवाई बंद कर देंगे। 2021 में जब केंद्र ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश लायी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई प्रावधान रद्द कर दिए थे। अदालत ने कहा था कि, ट्रिब्यूनल सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल कम से कम पांच साल होना चाहिए। न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय करना गलत है, ताकि युवा वकील भी नियुक्त हो सकें। सरकार केवल दो नामों की सूची में से किसी एक को चुनने का अधिकार नहीं रख सकती। लेकिन केंद्र ने बाद में जो ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 पारित किया, उसमें वही प्रावधान फिर से शामिल कर दिए गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक ठहरा चुका था। इसी पर अदालत ने अब दोबारा कड़ा रुख अपनाया है और संकेत दिया है कि वह इस कानून की वैधता पर जल्द फैसला सुनाना चाहती है।

भव्य त्रिमूर्ति, गांधी, नेहरू और पटेल

कृतज्ञ राष्ट्र ने सरदार बल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एकता दिवस के तौर पर मनाई है। इस महान नेता ने 562 बड़ी-छोटी रियासतों, जिनका विभाजन से पहले के भारत के 40 प्रतिशत हिस्से पर शासन था, को भारत संघ के साथ मिलाया था। कई रियासत तो बहुत छोटी थीं पर समृद्ध हैदराबाद भी थी जो यूरोप के अधिकतर देशों से बड़ी थी और जिसका तब बजट बेल्जियम के बराबर था, ऐसा करते वक्त उन्होंने साम-दाम-दंड-भेद सबका इस्तेमाल किया था। जॉन ज़ुब्रज़्की जिन्होंने रियासतों के भारत में विलय पर किताब लिखी है, ने इसके लिए पटेल के शक्तिशाली व्यक्तित्व, क्रोध के साथ सौम्यता और मित्रता के साथ ज़बरदस्ती के मिश्रण को ज़िम्मेवार ठहराया है। नेहरू और पटेल की सोच में अंतर था। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी राजा महाराजाओं के प्रति अपनी तीव्र नफ़रत नहीं छिपाई थी, जबकि पटेल के कुछ प्रमुख राजाओं के साथ अच्छे संबंध थे पर जब हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय का समय आया तो सरदार का रवैया बेरहम था। जूनागढ़ को तो ताक़त के दिखावे के साथ ही सीधा कर लिया गया पर हैदराबाद में भारतीय सेना भेज दी गई। निज़ाम को विलय करना पड़ा। यह अफ़सोस की बात है कि सरदार को उनके योगदान के अनुरूप श्रेय बहुत देर से दिया गया। उन्हें भारत रत्न 1991 में दिया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू को 1955 में और इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। पटेल को उनके देहांत को 41 वर्ष के बाद यह सम्मान दिया गया जिस साल राजीव गांधी और मोरारजी देसाई को भी दिया गया। इसका कारण है कि आज़ादी के बाद सत्ता नेहरू-गांधी परिवार के पास रही और उन्होंने छोटापन दिखाते हुए पटेल को पूर्ण सम्मान नहीं दिया, पर यहां भी कुछ विवाद खड़ा हो गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे पर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। दूसरी तरफ़ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कटाक्ष किया कि सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर बैन लगाया था। गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पत्र में पटेल ने संघ की गतिविधियों के बारे चेतावनी दी थी और बताया था कि संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने हत्या पर ख़ुशियां मनाई थीं। दोनों ही आंशिक तौर पर सही हैं, जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर का भारत में विलय नेहरू के कारण हुआ था पटेल की कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पटेल की जीवनी के लेखक राजमोहन गांधी बताते हैं, वल्लभभाई निश्चित नहीं थे कि उन्हें कश्मीर चाहिए,क्योंकि वह मुस्लिम बहुसंख्यक रियासत थी और श्रीनगर भारत की सीमा से 300 मील दूर था। वी.पी. मेनन जो सरदार पटेल की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में सचिव थे के अनुसार जून 1947 में माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह को बताया था कि, अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो भारत सरकार उसे अमित्रतापूर्ण कदम नहीं समझेगी। यह माउंटबेटन ने पटेल के हवाले से कहा था, जवाहरलाल नेहरू के हवाले से नहीं। नेहरू के लिए कश्मीर उनके पूर्वजों का प्रदेश था जिसे वह किसी हालत में खोना नहीं चाहते थे। गांधी जी भी कश्मीर भारत में शामिल चाहते थे, पर पटेल का कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर शासक समझता है कि उसकी रियासत का हित पाकिस्तान में शामिल होने में है तो मैं रास्ते में खड़ा नहीं रहूंगा। सरदार पटेल का कश्मीर के बारे उदासीन रवैया सितंबर 1947 तक ही रहा था। उस दिन पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर लिया।

तब पटेल पलट गए, अगर पाकिस्तान एक हिन्दू बहुसंख्यक रियासत जिसका शासक मुसलमान है को लेने की कोशिश कर सकता है तो भारत उस मुस्लिम रियासत को क्यों नहीं शामिल कर सकता जिसका शासक हिन्दू है? उस दिन के बाद जूनागढ़ और कश्मीर दोनों पटेल की प्राथमिकता बन गए। पटेल यूएन में कश्मीर मामले को भेजने के खिलाफ़ थे और ज़मीनी कार्रवाई के पक्ष में थे, पर कश्मीर का मामला नेहरू के पास था इसलिए पटेल ने दखल नहीं दिया और वह उसे यूएन में ले गए जहां वह आजतक पड़ा है। एक तिहाई हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के पास है, जिसका ज़िक्र मोदी ने किया है। पर यह भी हक़ीक़त है कि शुरू में अगर नेहरू न अड़ जाते तो शायद पूरा कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता। जहां तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर बैन का सवाल है, 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की हत्या के कुछ सप्ताह के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। सरदार पटेल को रिपोर्ट मिली कि कई जगह संघ के कार्यकर्ताओं ने ख़ुशी मनाई थी। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर पटेल का कहना था कि वह ख़तरनाक गतिविधियों में संलिप्त है और बैन लगा दिया गया। पर दोनों नेहरू और पटेल के संघ के बारे नज़रिए में अंतर था। नेहरू बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे पर पटेल संघ को पथभ्रष्ट, पर देश भक्त समझते थे। नेहरू ने पटेल को बताया था कि उनके विचार में गांधी की हत्या अकेली घटना नहीं थी। वह बड़े अभियान का हिस्सा थी जिसे आरएसएस ने आयोजित किया था। पर पटेल का जवाब था कि, यह सामने आ रहा है कि आरएसएस इस में बिल्कुल शामिल नहीं था। पटेल का मानना था कि यह हिन्दू महासभा के धर्मांध हिस्से का काम था। 16 महीने के बाद यह बैन हटा लिया गया। बैन हटाने वाले भी गृहमंत्री सरदार पटेल थे। 'सरदार' का ख़िताब पटेल को आज़ादी से बहुत पहले दिया गया था। गुजरात के बारदोली के किसान सत्याग्रह में पहली बार उन्हें 'किसानों का सरदार' कहा गया था। उसके बाद से ही उन्हें सरदार कहा जाने लगा। महात्मा गांधी जी ने एक पत्र में लिखा था कि कई लड़ाइयां लड़ने के लिए सरदार को लम्बी आयु मिले।

गांधी जी ने पटेल की बार बार प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि आप का दिल शेर जैसा है। एक पत्र में गांधी ने लिखा था, मुझे इस बात का आभास है कि भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है कि मुझे वल्लभभाई जैसे असाधारण व्यक्ति का साथ मिला है। दूसरी तरफ़ पटेल सदैव ख़ुद को गांधी जी का सिपाही समझते रहे। राजमोहन गांधी लिखते हैं, वल्लभभाई के लिए गांधी एक में तीन आदमी थे। उनके लिए गांधी संत, योद्धा और मार्गदर्शक थे जिनके पीछे वह चल सकते थे। पटेल ने गांधी जी के बारे लिखा था, उनके साथ रहकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भारत की मुक्ति उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हो सकती है। स्वतंत्रता सेनानी के.एम. मुंशी ने भी 1945 में लिखा था कि सरदार की अपनी कोई इच्छा नहीं है। वह केवल गांधी की नीति की सफलता चाहते हैं। वह अपने लिए कोई श्रेय नहीं चाहते। वह केवल गांधी जी के औज़ार के तौर पर ही पहचान चाहते हैं। आजकल देश में कुछ आवाज़ें उभर रही हैं, जो गांधी जी के योगदान को कम बताने की कोशिश कर रही हैं और कुछ तो उनकी अवमानना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आप एक तरफ़ सरदार पटेल की प्रशंसा और दूसरी तरफ़ गांधी जी की अवमानना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक थे। इसी तरह आप पटेल और नेहरू को एक दूसरे का विरोधी नहीं कह सकते। कश्मीर, चीन, आरएसएस, रियासतों के विलय आदि को लेकर दोनों में मतभेद थे, और कई बार तीखे मतभेद थे पर दोनों ने इन्हें नियंत्रण में रखा था यह जानते हुए कि वह बड़े उद्देश्य, देश की आज़ादी, के लिए कामरेड हैं। दोनों में कैसी आत्मीयता थी वह गांधी हत्या के समय स्पष्ट हो गया था क्योंकि दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया था। इतिहासकार उस क्षण कावर्णन इस प्रकार करते हैं नेहरू वल्लभभाई से कुछ मिनटों के बाद वहां पहुंचे थे।

गांधी के शव के पास बैठकर वह बच्चों की तरह रोने लगे। उसके बाद उन्होंने अपना शोकाकुल सर पटेल की गोद में रख दिया। उस रात दोनों ने राष्ट्र को सम्बोधित किया। 3 फ़रवरी, 1948 को पटेल को प्रधानमंत्री नेहरू ने भावुक पत्र लिखा, बापू की हत्या के बाद मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्तव्य है, और आपका भी, कि हम इस संकट का दोस्त और साथी की तरह सामना करें। इसका बराबर जवाब सरदार ने दिया कि आपके पत्र की गर्मजोशी और स्नेह मुझे छू गई है। हम दोनों एक संयुक्त उद्देश्य के लिए जीवनभर साथी रहे हैं। इससे एक दिन पहले पटेल ने कांग्रेस पार्टी को सम्बोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर नेहरू को माई लीडर कहा था। ऐसी उदारता की मिसालें राजनीति में कम ही देखने को मिलती हैं, पर वह लोग अलग मिट्टी के बने थे। पटेल चाहते तो वह रंजिश पाल सकते थे कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सके पर क्योंकि यह गांधी जी का फ़ैसला था इसलिए चुपचाप स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों तरजीह दी? मेरा समझना है कि गांधी जी को मालूम था कि सरदार की सेहत ठीक नहीं। जेल में भी उन्हें आंत की समस्या आई थी। गांधी देश की बागडोर जवान और स्वस्थ हाथों में सौंपना चाहते थे। लम्बी बीमारी के बाद आज़ादी के तीन वर्ष के बाद पटेल का देहांत भी हो गया था। गांधी जी का वध हो चुका था। देश की सारी ज़िम्मेवारी जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर आ गई। अगर देश भटका नहीं और भविष्य की सही नींव डाली गई तोबहुत श्रेय नेहरू को जाता है। ग़लतियां हुईं। जो काम करेगा वह ग़लती करेगा। हमें उनकी ग़लतियां नहीं उनकी देश के प्रति सेवा को याद रखना है। यह देश का सौभाग्य है कि आज़ादी दिलवाने और सम्भालने के समय हमारे पास यह भव्य त्रिमूर्ति थी।

सम्पादकीय...

मेडिकल पारदर्शिता...

देश के सबसे बड़े, बेहतरीन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स' ने इस दिशा में कदम उठाया है। उसने डॉक्टरों से कहा है कि हिंदी में भी पर्चा लिखें। इतना ही नहीं, वह जरूरत के हिसाब से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की ओर भी आगे बढ़ रहा है। हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में डॉक्टर बोल-बतिया सकते हैं, मरीजों की तकलीफ की जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन उनके सामने जब इलाज, टेस्ट और दवा सुझाने की बारी आती है तो अंदर की अंग्रेजी स्वाभाविक रूप से उभर आती है। अंग्रेजी भी वैसी नहीं, अक्षर घसीट। कुछ डॉक्टरों की पर्चियां तो ऐसी होती हैं, जिन्हें अनुभवी फार्मासिस्ट और पैथोलॉजिस्ट भी पढ़ पाने में नाकाम रहता है। लेकिन यह स्थिति बदलने जा रही है। अब डॉक्टरों को हिंदी में भी पर्चा लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े, बेहतरीन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स' ने इस दिशा में कदम उठाया है। उसने डॉक्टरों से कहा है कि हिंदी में भी पर्चा लिखें। इतना ही नहीं, वह जरूरत के हिसाब से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की ओर भी आगे बढ़ रहा है। एम्स की यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश का नतीजा है। जिसमें मंत्रालय ने प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे धीरे-धीरे हिंदी में कामकाज शुरू करें। इस आदेश के बाद एम्स के हिंदी अनुभाग ने अपने सभी विभागों के कामकाज में हिंदी के उपयोग की शुरुआत करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। इसमें सिर्फ डॉक्टरों के हिंदी में पर्चे लिखने की ही बात नहीं है, बल्कि अंदरूनी फाइलों की नोटिंग, आपसी पत्राचार और दस्तावेजों में भी हिंदी का उपयोग बढ़ाने की बात कही गई है। आज औपचारिक जीवन में अंग्रेजी के जारी वर्चस्व की पृष्ठभूमि अंग्रेजी माध्यम के जरिए औपचारिक पढ़ाई की 1860 में हुई शुरुआत है। जिसका मकसद सिर्फ भारत में अंग्रेजी जानने वाले बाबुओं को तैयार करना ही नहीं, बल्कि देसी 'मानस' को अंग्रेजी मानस में परिवर्तित करना भी था। अंग्रेजों की यह कोशिश सफल रही। जिसका असर आज भी न्याय, प्रशासन, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में दिखता है। और तो और, भारतीय माध्यम वाली बौद्धिकता को भी अपने यहां वैसी प्रतिष्ठा हासिल नहीं है, जैसी अंग्रेजी माध्यम वाले बौद्धिकों को है। नीति निर्माण में अब भी उसी नौकरशाही का दखल ज्यादा है, जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी-लिखी है। हालांकि प्रशासन आदि में धीरे-धीरे ही सही, हिंदी समेत भारतीय भाषाओं का दखल बढ़ रहा है। लेकिन उच्च न्यायपालिका, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अब भी इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर हिचक दिखती है। अंग्रेजी माध्यम के वर्चस्व को देखते हुए अरसे से मांग रही है कि जिसे न्याय दिया जा रहा है, उसे पता होना चाहिए कि न्याय हो भी रहा है या नहीं, न्यायिक कार्यवाही सही तरीके से चल रही है या नहीं। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी तर्क दिया जाता रहा है कि मरीज को यह जानने का अधिकार है कि उसका किस रोग का इलाज हो रहा है, उसका कौन-सा टेस्ट कराया जा रहा है और उसे कौन-सी दवा दी जा रही है? भले ही उच्च न्यायपालिका में न्याय और न्यायिक कार्यवाही में अब भी भारतीय भाषाओं एवं हिंदी की भूमिका को सहज स्वीकार्यता नहीं मिल पाई हो। लेकिन अब मेडिकल की दुनिया में भारतीय भाषाओं और हिंदी की भूमिका बढ़ने की पीठिका तैयार हो गई है। न्याय में भारतीय भाषाओं की दखल बढ़ाने को लेकर टालमटोल करती रही न्यायपालिका मानने लगी है कि मरीजों को उसके इलाज आदि को जानने का हक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। न्यायपालिका ने मरीजों के इस हक को बीते तीस अगस्त को स्वीकार किया। इसी दिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा लिखे पर्चे को साफ और स्पष्ट होने का निर्देश दिया था। अदालत ने तब कहा था कि सभी मेडिकल पर्चे और जांच रिपोर्ट साफ अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी और निजी अस्पतालों-दोनों को यह व्यवस्था लागू करना चाहिए। अदालत ने यहां तक कहा था कि डॉक्टरी पर्चे कैपिटल अक्षरों में या टाइप या डिजिटल रूप में होने चाहिए। अदालत ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी से भी कहा था कि वह मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ लिखावट अपनाने के लिए प्रेरित करे। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक कंप्यूटर से पर्चा लिखने की व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल अक्षरों में ही पर्चे लिखें। इस अदालती आदेश के संदर्भ में कह सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नये फैसले को एम्स द्वारा अमल करना मरीजों के हक की दिशा में बढ़ा कदम है। इससे भारतीय भाषाओं को प्रशासन, न्याय और इलाज का माध्यम बनाने की कोशिशें परवान चढ़ेंगी। इससे भारतीय भाषाओं को मजबूती भी मिलेगी। इसी आदेश के आलोक में, एम्स अपने यहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम में कराने की तैयारी में है। ध्यातव्य है कि कई राज्यों में बारहवीं तक परीक्षा और पढ़ाई का माध्यम हिंदी या भारतीय भाषाएं ही हैं। इन माध्यमों के मेधावी छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए चुने जाते रहे हैं, मेडिकल में पहुंचते ही अचानक से उनका पाला अंग्रेजी माध्यम से पड़ जाता है। उनके सामने अचानक आया अंग्रेजी माध्यम उन पर दबाव बढ़ा देता है। इस दबाव में कई प्रतिभाएं असमय ही मौत का रास्ता अख्तियार करती रही हैं। इसी संदर्भ में अरसे से मांग होती रही है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हिंदी माध्यम भी होना चाहिए। चूंकि मौजूदा केंद्र सरकार और उसकी वैचारिकी भारतीय भाषाओं की पक्षधर है। वैसे समाजवादी आंदोलन और उसके प्रेरणा पुरुष डॉ राममनोहर लोहिया भी हिंदी के पक्षधर रहे हैं। अतीत में केंद्र और कई राज्यों में समाजवादी सरकारें रहीं। लेकिन उन्होंने कभी इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किया। इस संदर्भ को देखते हुए भारतीय भाषाओं के समर्थक मौजूदा केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों के आभारी हो सकते हैं कि उन्होंने भारतीय भाषाओं की पक्षधरता दिखाई है।

मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराने की चर्चा जब से शुरू हुई है, मेडिकल तबका ही उसका सबसे बड़ा विरोधी रहा है। कई तो ऐसे भी रहे, जिन्होंने इस विचार को हंसी में ही उड़ा दिया। इस सोच को जमीनी हकीकत बनाना असंभव भी बताया जाता रहा है। ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश सरकार अग्रणी बनी, और उसने 16 अक्टूबर 2022 को मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करा दी। अब एमबीबीएस की पढ़ाई पहले साल के तीन विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई हिंदी माध्यम से जारी है।

सरदार पटेल का भारत कैसा होता

गत 31 अक्तूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। आज भी यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि 1946 में गांधी जी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के चयन में अपनी 'वीटो शक्ति' का प्रयोग न किया होता और स्वतंत्र भारत की कमान पंडित जवाहर लाल नेहरू की बजाय पटेल को सौंपी होती तो देश का स्वरूप आज कैसा होता? वस्तुत- स्वतंत्रता के समय देश की पहली प्रामाणिक 'वोट-चोरी' ने पं. नेहरू को विजयी घोषित कर दिया जबकि कांग्रेस की अधिकांश प्रांतीय समितियों ने पटेल का नाम अनुमोदित किया था। परिणामस्वरूप, भारत उस दृढ़निश्चयी, राष्ट्रनिष्ठ और दूरदर्शी नेतृत्व से वंचित रह गया जो औपनिवेशिक (मुस्लिम आक्रांताओं सहित) कलंकों और विकृत नैरेटिव को मिटाकर एक आत्मविश्वासी भारत की नींव रख सकता था। यह तुलना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि देश नेहरू और पटेल दोनों से परिचित है और आगामी 14 नवम्बर को पंडित नेहरू की 136वीं जयंती भी है। सरदार पटेल का राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण पूरी तरह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभावना से प्रेरित था। यदि स्वतंत्र भारत ने उनके सैकुलरवाद को अपनाया होता तो सोमनाथ की तरह अयोध्या विवाद का समाधान भी कई दशक पहले हो चुका होता।

परंतु हुआ उलटा, 22 23 दिसम्बर 1949 को अयोध्या में प्रकट हुई रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश स्वयं नेहरू ने दिया। उन्हें सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर भी आपत्ति थी किंतु गांधी जी और पटेल के जीवित रहते उस कार्य को रोक नहीं सके। जैसे ही दोनों महापुरुष इस संसार से विदा हुए, नेहरू हिंदू संस्कृति के प्रति अपनी गहरी असहजता छिपा नहीं पाए और कालांतर में मंदिरों को 'दमनकारी' तक कह डाला। इसी विचारधारा की परिणति 2007 में तब सामने आई, जब नेहरूवादी कांग्रेस नीत यू.पी.ए. सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया। यही सोच आज काशी-मथुरा विवाद को अदालतों में लटकाए हुए है। यदि देश पटेल के मार्ग पर चलता तो इन विवादों से उपजा दशकों लंबा सांप्रदायिक तनाव, निर्दोषों के रक्तपात और संपत्ति के विनाश जैसी त्रासदियां शायद कभी घटित ही नहीं होतीं। पटेल के कारण ही 550 से अधिक रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय संभव हुआ। किंतु जम्मू-कश्मीर का मामला पं. नेहरू ने अपने अधीन रखा और शेख अब्दुल्ला जैसे घोर सांप्रदायिक के प्रभाव में निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, कश्मीर को जनमत संग्रह का विषय बना दिया गया, धारा 370-35ए के रूप में 'विशेषाधिकार' दे दिए गए, मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया और पाकिस्तानी सेनाओं को पूरी तरह खदेड़ने से पहले ही युद्धविराम की घोषणा कर दी गई। कल्पना कीजिए यदि कश्मीर की तरह जूनागढ़ और हैदराबाद का विषय भी पं. नेहरू संभालते तो आज वे भी पाकिस्तान का हिस्सा होते। खंडित भारत की 'छाती पर मूंग दल' रहे होते। सच तो यह है कि अगर कश्मीर का समाधान भी पटेल के हाथों हुआ होता तो वहां अन्य राज्यों की तरह स्थायी शांति स्थापित होती। न देश की सुरक्षा में लगे भारतीय जवानों पर पत्थरबाजी होती न गैर-मुस्लिमों से मजहब पूछकर हत्याएं होतीं और न पाकिस्तान का एक तिहाई कश्मीर पर अवैध कब्जा होता।

1989-90 के दौर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और उनका विवशतापूर्ण पलायन जैसी भयावह घटनाएं भी संभवत टल जातीं। यहां तक कि राष्ट्रहित के प्रतिकूल 'सिंधु जल संधि' (1960) जैसी देशविरोधी संधि का भी अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव ठुकराने या 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' जैसी अदूरदर्शी कूटनीति अपनाने की बजाय साम्राज्यवादी चीन के विरुद्ध एक ठोस रणनीति बनाई जाती और संभवत 1962 के युद्ध का परिणाम भिन्न होता। अपने पिछले दो कॉलमों में उल्लेखित वामपंथ प्रेरित समाजवादी आर्थिक नीतियों और विदेशी एजेंडे से चलने वाले 'पर्यावरण-मानवाधिकार' केंद्रित आंदोलनों के कारण जो बाधाएं भारत के विकास पथ में आईं, उनसे भी देश बच सकता था। मार्क्स-मैकाले चिंतन से उपजा भारत का वर्तमान सैकुलरवाद दशकों से मजहब प्रेरित घृणा और असहिष्णुता के शिकार हिंदू समाज को उलटे 'अपराधी' के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। इसकी नींव तब पड़ी, जब पं. नेहरू ने मई 1959 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 'सांप्रदायिक शांति की जिम्मेदारी' एकतरफा हिंदू समाज पर डाल दी। क्या यह सत्य नहीं कि गत एक सहस्राब्दी से हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय संकीर्ण एकेश्वरवादी मजहबी आक्रमणों और यातनाओं (मतांतरण सहित) के शिकार रहे हैं? विडम्बना देखिए, जिस सर सैयद अहमद को पाकिस्तान अपना 'संस्थापक', जिन्ना को 'जनक' और इकबाल को 'विचारक' कहता है, उन्हें नेहरूवादी सैकुलर परिभाषा में 'नायक' बताकर गौरवान्वित, जबकि वीर सावरकर और डा. बलिराम हेडगेवार जैसे आधुनिक राष्ट्र निर्माताओं को 'सांप्रदायिक' बताकर कलंकित किया जाता है। यह स्थिति तब है जब स्वयं सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 'देशभक्त' और 'मातृभूमि से प्रेम करने वाला संगठन' कहा था। असल में, सरदार पटेल ने सदैव राष्ट्रहित को व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थ से ऊपर रखा। उनके लिए भारतीयता ही सभी नीतियों और निर्णयों का केंद्र थी। यदि देश पटेल की राष्ट्रनिष्ठ और सांस्कृतिक दृष्टि पर अग्रसर होता तो आज भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक एकजुट और आत्मविश्वासी होता और विश्व मंच पर बहुत पहले ही सशक्त नेतृत्व की भूमिका निभा रहा होता। पटेल केवल इतिहास का गौरव नहीं, वह भारत के भविष्य की दिशा हैं।

बिहार को विकास चाहिए, दान नहीं

बिहार को अपने युवाओं को सबसे ज्यादा पलायन दर वाला राज्य होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है। पंजाब और हरियाणा के विपरीत, जहां युवाओं का एक बड़ा वर्ग विदेश जाने का सपना देखता है, बिहार के युवा रोजगार की तलाश में इन राज्यों और देश के अन्य हिस्सों में आते हैं। यह स्पष्ट है कि घर पर अवसरों की कमी इन युवाओं को आजीविका के लिए ज्यादातर छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर करती है। यह देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है लेकिन मानव विकास सूचकांक के कई मानकों पर यह सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कम वजन वाले बच्चों, बौने बच्चों, स्वास्थ्य बीमा की कमी और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाली आबादी जैसे क्षेत्रों में बिहार सभी 29 राज्यों में सबसे निचले स्थान पर है। यह अंतिम, यानी 28वें स्थान पर है, जहां 6 वर्ष की बच्चियों से लेकर अधिक आयु की वे महिलाएं हैं जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई की है और 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या भी सबसे अधिक है। शिशु मृत्यु दर के मामले में राज्य नीचे से तीसरे स्थान पर है। कारखानों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में केवल 3,386 कारखाने हैं जो देश के सभी कारखानों का बमुश्किल 1.3 प्रतिशत है। कारखानों में कार्यरत कुल श्रमिकों में बिहार का हिस्सा मात्र 0.75 प्रतिशत है। बिहार की वर्तमान स्थिति के लिए काफी हद तक वहां की राजनीति, नेता और जातिवादी राजनीति जिम्मेदार है। उनकी अदूरदर्शी दृष्टि, जो हर 5 साल में चुनाव जीतने से आगे नहीं बढ़ती, ने सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले राज्य को घुटनों के बल ला दिया है। राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव भी कुछ अलग नहीं साबित हो रहे हैं, जहां 2 मुख्य प्रतिद्वंद्वी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन, विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी अल्पकालिक राजनीति के लिए उदारतापूर्वक मुफ्त उपहारों की पेशकश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने रोजगार का वादा किया है लेकिन यह स्पष्ट है कि यह वादा राज्य के मूल्यवर्धन के बजाय चुनाव जीतने के लिए है। इसने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने या उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं है। सरल अंकगणित यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो अनुमानित 2.6 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने के वादे से राज्य के खजाने पर लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसने अगले 5 वर्षों तक 'पात्र महिलाओं' को 2500 रुपए प्रति माह देने का भी वादा किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर 1.2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए स्टार्ट-अप राशि के रूप में 10,000 रुपए हस्तांतरित किए हैं। रोजगार सृजन की दिशा में यह एक अच्छी पहल थी लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस योजना की घोषणा नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के अंतिम चरण में की गई थी।

ट्रंप की आर्थिक शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक सुनवाई-अमेरिकी संवैधानिकता, वैश्विक व्यापार और राजनीतिक शक्ति का निर्णायक मोड़

वैश्विक स्तरपर 5 नवंबर 2025 का दिनअमेरिकी लोकतंत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख बन गया है। आज,संयुक्त राज्यअमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसा मामला सुना गया जिसने न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की आर्थिक नीतियों की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया, बल्कि विश्व व्यापार की संरचना, आपातकालीन शक्तियों की सीमाओं और कार्यपालिका बनाम विधायिका के संतुलन को भी गहराई से परखा। इस केस की सुनवाई 80 मिनट तक चली, जबकि सामान्य मामलों में 60 मिनट ही मिलते हैं,अदालत में जगह खचाखच भरी रही,पूरी दुनियाँ की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियां सीमित की जाएंगी या उन्हें और अधिक अधिकार मिलेंगे।बता दें इस केस की सुनवाई में भारतीय मूल के जाने-माने वकील नील कत्याल मुख्य वकील के तौर पर याचिका कर्ताओं की ओर से व ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध दलीलें दिए,इस सुनवाई का केंद्र था इंटरनेशनलइमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट (आईईईपीए) ,1977 का वह कानून जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की थीं। परन्तु प्रश्न यह था कि क्या इन शक्तियोंका प्रयोग ट्रंपने अपने राजनीतिक -व्यापारिक हितों के लिए अत्यधिक सीमा तक कर लिया है? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह सुनवाई इतिहास की उस रेखा पर खड़ी है जहाँ से तय होगा आर्थिक शक्ति का उपयोग राष्ट्रहित के लिए होगा या राजनीतिक प्रभुत्व के लिए है,लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो कानून से ऊपर नहीं है। दुनियाँ भर के देशों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर है, जो आने वाले महीनों में आएगा। यह फैसला तय करेगा कि क्या इकोनॉमिक पावर एक्ट के नाम पर राष्ट्रपति को असीमित शक्ति मिल सकती है,या संविधान की मर्यादा अब भी सर्वोच्च है। इस जानकारी का कलेक्शन मीडिया के माध्यम से किया गया है। साथियों बात अगर हम इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट और राष्ट्रपति की शक्ति को समझने की करें तो आईईईपीए की रचना अमेरिकी कांग्रेस ने 1977 में इस उद्देश्य से की थी कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कदम उठाने की शक्ति मिल सके। इसका मूल लक्ष्य था शत्रु देशों या आतंकवादी संगठनों से निपटना, व्यापारिक प्रतिबंध लगाना, और विदेशी संपत्तियों को नियंत्रित करना। परंतु 2018 से 2024 के बीच, ट्रंप प्रशासन ने इस कानून का उपयोग चीन, मेक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ और यहाँ तक कि भारत के विरुद्ध भी टैरिफ (इम्पोर्ट ड्यूटीज) लगाने के लिए किया,यह कहते हुए किविदेशी व्यापारअमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इसने न केवल कांग्रेस के सदस्यों बल्कि न्यायविदों को भी चिंतित कर दिया कि कहीं राष्ट्रपति इस कानून का उपयोग व्यापारिक हथियार के रूप में तो नहीं कर रहेइस मामले में ट्रंप का तर्कसरल किंतु विवादास्पद है। उनका कहना है कि अमेरिका की आर्थिक शक्ति ही उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है। यदि कोई देश अमेरिकी उद्योग या रोजगार को नुकसान पहुँचाता है,तो यह युद्ध का एक रूप है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, चीन या अन्य देशों से आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफलगाना राष्ट्र की रक्षा का एक हिस्सा हैउन्होंने इसेइकोनॉमिक् नेशनलीज्म कहा और आईईईपीए की धारा 1702 का हवाला दिया,जो राष्ट्रपति को विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। ट्रंप के समर्थक इसेअमेरिका फर्स्ट नीति की स्वाभाविक परिणति मानते हैं, जबकि आलोचक इसे संवैधानिक अतिरेक और कार्यपालिका के दुरुपयोग की परिभाषा बताते हैं।अमेरिकी कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ट्रंप ने आईईईपीए के उद्देश्य को मोड़कर अपनी व्यापारिक नीतियों को लागू करने का औजार बना लिया है। कांग्रेस के कई सदस्यों ने कहा कि इस कानून की आड़ मेंराष्ट्रपति ने न केवल संवैधानिक 'चेक्स एंड बैलेंसेस को तोड़ा,बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों को भी नष्ट किया। पिछले वर्ष लर्निंग रिसोर्सेस बनाम ट्रम्प नामक मामले में कई उद्योग समूहों ने दावा किया कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं, क्योंकि उन्होंने कोई वास्तविक आपातकाल घोषित नहीं किया था।

इसी मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जिसने आज इस पर मौखिक दलीलें सुनी। साथियों बात अगर हम आज की सुनवाई,कोर्ट रूम में लोकतंत्र की परीक्षा को समझने की करें तो 5 नवंबर 2025 को सुबह वाशिंगटन डी.सी. के सर्वोच्च न्यायालय में माहौल असाधारण था।बता दें इस केस में याचिकाकर्ता की ओर से यानें डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध भारतीय मूल के बहुत बड़े वकील पैरवी कर रहे हैं,कोर्ट रूम में मीडिया, व्यापारिक प्रतिनिधि,संवैधानिक विशेषज्ञ औरअंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक मौजूद थे। ट्रंप स्वयं उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी से मुद्दे का राजनीतिकरण हो सकता है।उनकी जगह उनके ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने तर्क प्रस्तुत किया कि विश्व व्यापार की स्थिति ऐसी है कि आर्थिक कदम उठाना अमेरिकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने कहाआईईईपीए को इस तरह व्याख्यायित करना कि राष्ट्रपति किसी भी देश पर व्यापारिक युद्ध छेड़ सके, संविधान के विरुद्ध है। यदि यह मान लिया गया तो कोई भी राष्ट्रपति आर्थिक तानाशाह की स्थिति में आ सकता है।जस्टिसों के सवाल,संविधान बनाम शक्ति- सुनवाई के दौरान कई जस्टिसों ने कठोर प्रश्न पूछे। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्सजॉन ने कहा,यदि हर व्यापारिक असंतुलन एक राष्ट्रीय आपातकाल है,तो फिर कांग्रेस की भूमिका क्या रह जाएगी? जस्टिस सोनिआ सोटोमेयर ने पूछा,क्या यह 'एग्जीक्यूटिव ओवररेच ' नहीं है कि राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना कर नीति तय करें? वहीं, कुछ जस्टिस जैसे नील गोरसुच ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार लचीलापन मिलना चाहिए। इससे यह स्पष्ट था कि कोर्ट इस मामले को केवल कानून की दृष्टि से नहीं, बल्कि संवैधानिक शक्ति-विभाजन के दृष्टिकोण से भी देख रही है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ, विश्व व्यापार में चिंता को समझने की करें तो,इस सुनवाई ने केवल अमेरिकी राजनीति में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है।

यूरोपीय संघ ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की शक्तियों को वैध मानता है,तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन ने इसे संरक्षणवाद की न्यायिक स्वीकृतिकहा। भारत, जो अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, उसने संयमित प्रतिक्रिया दी है लेकिन आंतरिक विश्लेषणों में चिंता जताई है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी समय आईईईपीए के नाम पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी दीर्घकालिक समझौता स्थायी नहीं रह सकता। ब्रिटेन, जो इस समय अमेरिका के साथ एक पोस्ट-ब्रेक्सिट एफटीए पर बातचीत में है, इस फैसले को अपनी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है।आर्थिक प्रभाव,डॉलर, मार्केट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर-सुनवाई के दिन ही वॉल स्ट्रीट और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हल्की अस्थिरता देखी गई। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और एशियाई बाजारों में संदेह देखा गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर ट्रंप को असीमित शक्तियाँ दे देता है तो व्यापारिक टकरावों का नया दौर न शुरू हो जाए। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बयान जारी किया कि आईईईपीए के तहत टैरिफ नीतियों को न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया तो निवेशक- विश्वास डगमगा सकता है। वैश्विक स्तर पर यह चिंता जताई जा रही है कि यदि हर देश अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की आर्थिकआपातकालीन शक्तियाँ देने लगे तो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएँ निष्प्रभावी हो जाएँगी। साथियों बात अगर हम संविधान बनाम कार्यपालिका, अमेरिकी लोकतंत्र की असली परीक्षा को समझने की करें तो,यह मामला केवल एक आर्थिक विवाद नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान की आत्मा की परीक्षा है। संविधान की रचना इस सोच के साथ हुई थी कि कोई भी शक्ति निरंकुश न हो,न कार्यपालिका, न विधायिका और न ही न्यायपालिका। ट्रंप की व्याख्या यह संकेत देती है कि राष्ट्रपति आर्थिक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताकर बिना कांग्रेस की मंजूरी के फैसले कर सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट इसे वैध ठहरा दे, तो यह भविष्य में किसी भी राष्ट्रपति (डेमोक्रेट या रिपब्लिकन) के लिए ऐसा मार्ग खोल देगा जिसमें वे संसद की अनुमति के बिना वैश्विक व्यापारिक निर्णय ले सकेंगे। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया इस मामले को पावर बनाम कंस्टीट्यूशन कह रही है। साथियों बात अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण,ट्रंप के लिए चुनावी संदेश को समझने की करें तो,राजनीतिक रूप से यह मामला ट्रंप के लिए दोधारी तलवार है। उनके समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व और अमेरिका फर्स्ट नीति की जीत मान रहे हैंवहीं विरोधी इसे आर्थिक अधिनायकवाद की शुरुआत बता रहे हैं।

2026 के मध्यावधि चुनावों को देखते हुए ट्रंप इस मुद्दे को जनता के बीच अमेरिका की स्वतंत्र आर्थिक नीति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया, तो विपक्ष इसी इस दावे के साथ पेश करेगा किट्रंप ने संविधान को ताक पर रख दिया था। साथियों बात अगर हम इस मामले में भारत और वैश्विक दक्षिण का दृष्टिकोण को समझने की करें तो,भारत के लिए यह मामला केवल एक अमेरिकी कानूनी प्रकरण नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक नीति का संकेत है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

आरटीआई के प्राविधानों का गंभीरतापूर्वक पालन करें अधिकारी : मोहम्मद नदीम

सूचना आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक

मुरादाबाद।

राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश मोहम्मद नदीम द्वारा जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नामित जिले के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने नगर निगम, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ-साथ खंड विकास अधिकारी बिलारी, खंड विकास अधिकारी कुंदरकी और तहसीलदार सदर कार्यालय में लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति के संबंध में जन सूचना अधिकारियों से जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि जन सूचना अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र का निर्धारित 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत नियमों का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है परिणामस्वरूप 780 प्रकरणों में जन सूचना अधिकारियों को दंडित करते हुए उनसे जुर्माना की धनराशि वसूलने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के प्राविधानों को लेकर अधिकारियों को गंभीरता बरतनी होगी और आवेदक को स्पष्ट और समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम और उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी रखें और गंभीरतापूर्वक पालन करें। राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी से कहा कि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के दृष्टिगत आयोजित मासिक बैठकों के दौरान आरटीआई के मामलों के निस्तारण की भी समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी ने भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में अभिलेखों को दुरुस्त कराएं और आरटीआई के प्राविधानों के अनुरूप सूचनाओं को प्रदान करने में कोई लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि मासिक बैठकों में भी लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त श्री अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती ममता मालवीय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।

एसआईआर में व्यवस्था की हक़ीक़त, घर-घर सर्वे का दूसरा दिन-बीएलओ का अता पता नहीं

फतेहपुर।

चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का एसआईआर (स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण) का जो निर्धारित समय है। उसमें आज दूसरे दिन भी शहर में गणना फार्म भरने के लिए नागरिक भटकते रहे। लेकिन बीएलओ का अता पता नहीं रहा। एसआईआर में व्यवस्था की हकीकत का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में एसआईआर (स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण) का कार्य 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक किये जाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए बीएलओ को घर-घर सर्वे कर गणना फार्म भरवाने के निर्देश गये हैं। लेकिन 4 नवम्बर को घर-घर सर्वे का कार्य शुरू नहीं हो सका। कुछ नागरिकों ने इसकी पुष्टि भी की।

जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोश कुमारी शुक्ला, अब्दुल हफीज़, शुऐब अहमद अन्सारी, सुनील कुमार सिंह, उज़ैर खान व अब्दुल हफीज़ रहमान एडवोकेट व शरीफ अहमद फैसल ने स्वीकार किया कि बीएलओ नहीं आये। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ फतेहपुर के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पाण्डेय ने टिप्पणी की कि घोषणा हुई है, आदेश जब मिलेगा तब अपनी सुविधानुसार करेंगे। शिक्षक विकास साहू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आज मीटिंग हुई है, ट्रेनिंग में सब बताया गया है, जब पेपर मिल जाएंगे तब घर-घर जाएंगे बीएलओ। शाहरुख फतेहपुरी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। अब्दुल हफीज़ रहमान एडवोकेट ने बताया कि वह आज दूसरे दिन 3-4 मतदान केन्द्रों पर गए थे। अवकाश होने की वजह से उ0प्रा0वि0 महात्मा गाँधी (1 से 8), नगर क्षेत्र फतेहपुर बन्द था। जबकि राजकीय इण्टर कालेज व मुस्लिम इन्टर कालेज का गेट खुला था। लेकिन बीएलओ नहीं थे। अब सवाल यह उठता है कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक चलने वाले सर्वे के 2 दिन तो यूंही बीत गये। इस राष्ट्रीय कार्य में आखिर ये लापरवाही क्यों ? जबकि बाद में लापरवाही का पूरा का पूरा ठीकरा जनता के सिर पर ही फोड़ा जाता है।

छात्राओं को दीं सुरक्षा सम्बन्धी जानकारियां

मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देशानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और महिलाओं को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मनो सामाजिक परामर्श दाता तनीषा दिवाकर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की नीतू सक्सेना द्वारा छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर के साथ-साथ महिलाओं को उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही 181, 1090, 1930, 112, 108, 102, 1098 के विषय में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

मेडिकल कॉलेज में महिला आयोग अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, मनाया गया कन्या जन्मोत्सव

बहराइच।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज बहराइच के एमसीएच विंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत प्रधानाचार्य डॉ. संजय खत्री की अध्यक्षता में ÷कन्या जन्मोत्सव÷ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ÷सशक्त बेटियां, सशक्त बहराइच÷ के संदेश को समाज में प्रसारित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान नवजात बालिकाओं के जन्म पर केक काटकर उत्सव मनाया गया। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में जन्मी बेटियों को उपहार भेंट किए गए। साथ ही गर्भवती महिलाओं का पारंपरिक गोद भराई संस्कार किया गया तथा संतुलित आहार की टोकरियां वितरित की गईं। प्रधानाचार्य डॉ. संजय खत्री ने इस अवसर पर कहा, कन्या जन्मोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रतीक है। बेटियां बोझ नहीं, गर्व और सम्मान की पहचान हैं। मेडिकल कॉलेज बहराइच सदैव कन्या संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, संकाय सदस्य, चिकित्सकगण, मीडिया प्रभारी, हॉस्पिटल मैनेजर, नर्सिंग अधीक्षिका तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन सम्पन्न

बहराइच।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित जिला विज्ञान क्लब बहराइच के तत्वावधान में महाराज सिंह इंटर कॉलेज बहराइच में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक सदर श्रीमती अनुपमा जायसवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदा नंद, वित्त एवं लेखाधिकारी वीरेश कुमार वर्मा, जिला समन्वयक डॉ नंद कुमार शुक्ल एवं निर्णायक सदस्यों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करके संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक सदर श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने अपने संबोधन में सभी बच्चों द्वारा बनाए गए प्रदर्श की सराहना करते हुए आह्वान किया कि यह सब भविष्य के वैज्ञानिक हैं तथा जनपद को अग्रणी बनाने में इनकी सर्वाधिक महती भूमिका है। जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानंद ने कहा कि जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है सवाल पूछो, खोज करो, इसके माध्यम से ही छात्र और छात्राएं अपनी जिज्ञासाओं का निवारण कर सकते है। जिला समन्वयक डॉ नंद कुमार शुक्ल ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी में जनपद के राजकीय, अशासकीय, सीबीएसई विद्यालयों से आये लगभग 210 बाल वैज्ञानिकों ने अपने-अपने 100 नवोन्मेषी विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किये।

जिनमे साइबर सिक्योरिटी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट स्कूल नैनोटेक्नोलॉजी, सेंसर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी रोबोटिक्स, सोलर ट्रेकिंग सिस्टम, स्मार्ट होम, वायरलेस चार्जिंग, फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन स्मार्ट डस्टबिन आदि थे। जनपद स्तर से प्रथम 15 उत्कृष्ट मॉडल मण्डल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, राज्य स्तर पर श्रेष्ठ मॉडल को 50 हजार रुपये पुरस्कार के साथ प्रौद्योगिकी परिषद नियमानुसार पेटेंट की व्यवस्था भी करती है। पुरस्कार सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉ एस पी सिंह व वित्त एवं लेखाधिकारी वीरेश कुमार वर्मा ने कहा कि ने कहा कि आप बाल वैज्ञानिकों में से ही कोई न्यूटन, आइंस्टीन बने, बाल वैज्ञानिकों के सतत प्रयास अनुशासन और अध्यापकों के मार्ग दर्शन से ही नित नवीन आविष्कार संभव हैं। जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में अर्शी खान ऐम्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच प्रथम स्थान, अल जफीरा नूर सेवेन्थ डे इंटर कॉलेज को द्वितीय स्थान, अनुष्का शर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बहराइच तृतीय स्थान, प्रतिष्ठा सिंह अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल बहराइच व साक्षी सिंह बल शिक्षा निकेतन बहराइच को सांत्वना पुरस्कार प्रमाणपत्र, स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार हेतु क्रमश 5000, 3000, 2000, 1000 व 1000 रुपये के पुरस्कार जिला विज्ञान क्लब के खाते से आरटीजीएस के माध्यम से दिए जाएंगे। जनपदीय मूल्यांकन समिति में केडीसी के एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान डॉ आनंद कुमार श्रीवास्तव व भौतिक विज्ञान के अखिलेश उपाध्याय, राजकीय पॉलिटेक्निक मोहम्मदपुर के प्रवक्ता डॉ. अमित रंजन व लोकेंद्र कौशल रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रद्युम्न पांडेय ने किया। तनूजा श्रीवास्तव व दीपा द्विवेदी द्वारा उकेरी गई जीवंत रंगोली ने सभी उपस्थित को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजकीय इंटर कॉलेज रमपुरवा के अमित कुमार पांडे, संतोष कुमार शुक्ला व डॉ जसवंत सिंह, गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार मिश्रा तथा देवेंद्र कुमार मिश्रा, अर्पित शुक्ला, विशाल पांडे, पंकज कुमार पांडे का विशेष योगदान रहा।

सैनिकों की जाति देखने की राहुल गांधी की सोच उस एकता को तोड़ने की साजिश है जो युद्ध के मैदान का सबसे बड़ा अस्त्र है

नई दिल्ली। बिहार के कुटुम्बा में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देश की 90ब आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों से आती है। मगर सारे पद, कंपनियां, नौकरियाँ, यहाँ तक कि सेना भी 10ब लोगों के नियंत्रण में है। सेना को राजनीति में घसीटे जाने पर राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में तीव्र प्रतिक्रिया देखी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि भारतीय सेना का कोई धर्म या जाति नहीं होती। हमारे सैनिकों का एक ही धर्म है– सैन्य धर्म। उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना राष्ट्र के साथ अन्याय है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व विदेश मंत्री और विपक्षी खेमे के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताई है। उन्होंने एक्स (ट्वि) पर लिखा कि मैं निराश हूं कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना को जाति की बहस में घसीटा। सेना की एकमात्र जाति है– देशभक्ति, साहस और बलिदान। वैसे यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सेना पर टिप्पणी कर विवाद पैदा किया हो। 2023 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान उन्होंने कहा था कि चीन की सेना अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रही है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। वैसे राहुल गांधी के ताज़ा बयान ने एक बार फिर यह प्रश्न उठाया है कि आखिर क्यों वह बार-बार भारतीय सेना जैसे पवित्र, गैर-राजनीतिक और राष्ट्रीय संस्थान को अपने चुनावी भाषणों में घसीटते हैं। सवाल उठता है कि क्या यह अनजाने में कही गई बात थी, या फिर चुनावी गणित का जानबूझकर बुना गया जाल? सच्चाई यह है कि यह टिप्पणी न तो आकस्मिक थी, न ही मासूम। यह एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी, जहां जाति को हथियार बनाकर हर संस्थान की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सके। देखा जाये तो भारतीय सेना उस विरल संस्था में से है जिसने सात दशक से भी अधिक समय से भारतीय समाज की विविधता को एकता में पिरोया है। जहाँ धर्म, भाषा, जाति या प्रांत नहीं, बल्कि एक ही पहचान चलती है– भारतीय सैनिक की। इस संस्था की रीढ़ इकाई भावना है, जहाँ सैनिक एक-दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा यह कहना कि सेना 10फीसदी लोगों के नियंत्रण में है, न केवल तथ्यहीन है, बल्कि सैनिकों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला है। सेना को इस प्रकार विभाजित दृष्टि से देखना उस एकता पर हमला है जिसे हमारे जवान सरहद पर अपने रक्त से सींचते हैं। यह महज राजनीतिक बयान नहीं, यह राष्ट्रीय नैतिकता पर प्रहार है। राहुल गांधी भलीभांति जानते हैं कि बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जातीय समीकरण ही चुनावी परिणाम तय करते हैं। कांग्रेस लंबे समय से इन राज्यों में हाशिये पर है। ऐसे में 90 बनाम 10 प्रतिशत का नारा उनकी चुनावी रणनीति का नया तौर है– एक ऐसा तौर जो जातीय पीड़ा को राजनीतिक लाभ में बदल सके। परन्तु समस्या यह है कि इस बयान में जातीय आँकड़ों की बात नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास की झलक है। राहुल गांधी ने कहा कि न्यायपालिका, नौकरशाही, उद्योग और सेना, सब कुछ 10ब के नियंत्रण में है।

बिहार में टूटा अब तक का रिकॉर्ड, पहली बार 64.66 फीसदी मतदान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है।

राज्य में इस बार रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के अनुसार, इससे पहले साल 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव में 62.57ब वोटिंग हुई थी, जो अब तक का रिकॉर्ड था। वहीं, लोकसभा चुनावों की बात करें तो 1998 में 64.6ब मतदान हुआ था। इस बार इन सभी आंकड़ों को पार करते हुए लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।

शांतिपूर्ण रहा मतदान, सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पहले चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रहा। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों ने बेहतरीन व्यवस्था संभाली और कुल 1415 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया।

महिलाओं की बड़ी भागीदारी

इस बार महिलाओं ने मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखाया। आयोग ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। पर्दानशीं (बुर्का पहने) महिलाओं की पहचान के लिए 90,000 जीविका दीदियों को तैनात किया गया था। हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिस मौजूद रहे।

तकनीकी खामियां कम, ईवीएम में भी सुधार

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार तकनीकी गड़बड़ियां बेहद कम रहीं। पहले चरण में केवल 1.21 प्रतिशत बैलेट यूनिट्स बदली गईं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 1.87 प्रतिशत था। मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए।

शिकायतें और मतदान बहिष्कार के मामले

पहले चरण के मतदान के दौरान आयोग को कुल 143 शिकायतें मिलीं, जिनका तुरंत समाधान किया गया। कुछ इलाकों जैसे फतुहा, बख्तियारपुर और मुंगेर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। इसके बावजूद ज्यादातर इलाकों में मतदान पूरी तरह सफल रहा।

दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को

पहले चरण के मतदान के बाद अब चुनाव का अगला चरण 11 नवंबर 2025 को होगा। इसमें 122 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को होगी और उसी दिन परिणाम जारी किए जाएंगे।

गिरफ्तार करने से पहले लिखित में जानकारी देना अनिवार्य, वरना, शीर्ष कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि किसी भी अपराध या कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में और उसकी समझ में आने वाली भाषा में बताना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा को मजबूत करेगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी करते समय तुरंत यह नहीं बताया कि उसे किस वजह से गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तारी अमान्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन पुलिस को उचित समय के भीतर गिरफ्तारी के कारण की लिखित में जानकारी देनी होगी और गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने कम से कम दो घंटे पहले लिखित जानकारी देनी जरूरी है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुनाया, जो जुलाई 2024 के चर्चित मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस से जुड़ा था। जस्टिस मसीह ने 52 पन्नों के फैसले में लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मूल सुरक्षा है। फैसले में कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर मामले में बिना किसी अपवाद के गिरफ्तारी का कारण व्यक्ति को बताना अनिवार्य है और यह जानकारी लिखित रूप में और उसकी समझ की भाषा में दी जानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम सभी अपराधों पर लागू होगा, चाहे वह भारतीय दंड संहिता 1860 (अब भारतीय न्याय संहिता 2023) या किसी अन्य कानून के तहत हो। बेंच ने निर्देश दिया कि अगर अधिकारी तुरंत लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण नहीं बता सकते, तो पहले मौखिक रूप से बताएं, लेकिन लिखित जानकारी उचित समय के भीतर और हर हाल में हिरासत से पहले दो घंटे के भीतर देनी होगी। अगर तब भी इसका पालन नहीं किया गया, तो गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को अवैध माना जाएगा और व्यक्ति को रिहा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया। फैसले में दो मुद्दों पर विचार किया गया। पहला, क्या हर मामले में चाहे वह किसी भी अपराध या कानून के तहत हो, आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। दूसरा, अगर किसी विशेष परिस्थिति में तुरंत यह कारण बताना संभव न हो, तो क्या गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ की भाषा में गिरफ्तारी का कारण न बताना संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का कारण बताने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति आरोपों को समझ सके और यह तभी संभव है, जब जानकारी उसकी समझ की भाषा में दी जाए।

अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो एनडीए सत्ता से बाहर होगा: प्रियंका गांधी

चंपारण। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोटों में हेराफेरी के आरोपों को दोहराते हुए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को दावा किया कि अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो मौजूदा एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी और राज्य में एक नई सरकार बनेगी। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट जोड़े गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, कहते हैं कि विपक्षी नेता पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार में लोगों का अपमान कर रहे हैं। हम आपके अधिकारों, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं... कल राहुल गांधी ने दिखाया कि हरियाणा चुनाव में वोटों की धांधली हुई थी। 25 लाख फर्जी वोट... आज उनका अहंकार ऐसा है कि वे आपके वोटों का अपमान करते हैं। बिहार में 65 लाख वोट हटाए गए हैं। मैं गारंटी दे सकती हूं कि अगर यहां निष्पक्ष चुनाव हुए तो आप लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और नई सरकार बनाएंगे। अपने बचपन के एक निजी किस्से का ज़िक्र करते हुए, प्रियंका गांधी ने याद किया कि कैसे अमेठी की एक महिला ने उनके पिता, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके गांव में पानी का नल न लगवाने पर डांट लगाई थी। उन्होंने कहा कि यह घटना उस समय के भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है, जहाँ लोग प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकते थे। कांग्रेस नेता ने कहा, जब मैं 10-12 साल का था, तब मैंने अमेठी में एक महिला को मेरे पिता को डांटते हुए देखा था। उसने कहा था, तुम राजीव भैया तो हो हमारे, प्रधानमंत्री होंगे लेकिन आपने बोला था हमारे यहाँ नल लगाओगे पर लगाया नहीं अभी तक, हम दोबारा वोट नहीं देंगे आपको... वह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक गांव की महिला ने उन्हें डांटा; वह डरी नहीं। आजकल, हर किसी को डरना पड़ता है। अगर आप अपना अधिकार मांगते हैं, तो आपको पता है कि पुलिस आपको पीटेगी और प्रशासन आपको बंद कर देगा। वह समय नहीं था। हमारे देश की राजनीति की नींव महात्मा गांधी ने रखी थी, जिसमें जनता सर्वोच्च है।

योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर प्रहार राजद-कांग्रेस ने बिहार के युवाओं की पहचान छीनी

परिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को महागठबंधन पर राज्य के लोगों को धोखा देने और युवाओं को पहचान का संकट देने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने परिहार विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि आज मैं आपके बीच यह पूछने आया हूं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार के युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार की पहचान को धूमिल किया? दुनिया भर के विकास में बिहार के युवाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार को ऐसे युवा चाहिए जिनको अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा हो। बिहार के युवा दुनिया में जहाँ भी गए, उन्होंने अपनी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा और पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा करने वाले राजद और कांग्रेस फिर से छलावा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि अब जनता राजद या कांग्रेस को कभी मौका नहीं देगी।

दुष्कर्म केस में आसाराम को बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी अंतरिम जमानत

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि स्वयंभू संत हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित है और 86 वर्ष की आयु में उन्हें इलाज का कानूनी अधिकार है। अदालत ने कहा कि जोधपुर उच्च न्यायालय पहले ही इसी तरह की राहत दे चुका है और इसलिए गुजरात इस मामले में कोई अलग रुख नहीं अपना सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अगले छह महीनों में अपील पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है, तो आसाराम के पास एक और जमानत याचिका दायर करने का विकल्प होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर राजस्थान सरकार जोधपुर उच्च न्यायालय के जमानत आदेश को चुनौती देती है, तो गुजरात सरकार भी उसके खिलाफ याचिका दायर करने की हकदार होगी। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि अगर जोधपुर जेल के अंदर चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो आसाराम को साबरमती जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहाँ इलाज की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जा सकती है। पीड़िता के वकील ने चिकित्सीय लाचारी के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की जांच की मांग के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत- गौरव गोगोई

गुवाहाटी/चेन्नई।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) के कामकाज की जांच की मांग को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बयान तब दिया, जब उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। गोगोई ने एक्स पर लिखा, वोट चोरी पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता, अपराध स्वीकार करने जैसी है।

यह भारत की जनता के खिलाफ किए गए अन्याय को छिपाने की एक कमजोर कोशिश है। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग के कामकाज की जांच और इस अक्षम संस्था में सुधार की मांग को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। वहीं, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थगई ने गुरुवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान जल्दबाजी में लाया गया है, जिसकी इस समय कोई जरूरत नहीं थी और यह केवल भ्रम पैदा करेगा। उन्होंने अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम पर भी निशाना साधा, जिसने राज्य सरकार और पुलिस पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे भी कई बार प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली और द्रमुक सरकार ने मुझे 20 बार गिरफ्तार किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार या पुलिस की आलोचना की जाए, वे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने चेन्नई के बाहरी इलाके श्रीपेरुम्बुदुर में पार्टी की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि एसआईआर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया, यह अभियान तमिलनाडु में मानसून के दौरान जल्दबाजी में लाया गया है। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

बीजेपी कर रही बिहार में चुनाव 'चोरी करने की कोशिश, युवा और 'जेन जेड इसे रोकें, राहुल गांधी का आरोप

पूर्णिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार का चुनाव ''चोरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूर्णिया की जनसभा में युवाओं और 'जेन जेड का आह्वान किया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग के ''वोट चोरी करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए मुस्तैद रहें। राहुल गांधीने दावा किया, ''भाजपा ने हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया। अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं...इन लोगों ने महागठबंधन के वोटरों के नाम काटे हैं और फर्जी लोगों के नाम जोड़े हैं। ये लोग पूरा दम लगाकर चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ''बिहार के युवाओं और जेन जेड की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है। अगर भाजपा और निर्वाचन आयोग 'वोट चोरी करने की कोशिश करें तो आपको उन्हें रोकना होगा।

बिहार में डिप्टी सीएम के काफिले पर भीड़ ने फेंका गोबर-पत्थर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले- उनकी छाती पर चलेगा बुलडोजर

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को यह आरोप लगाकर खलबली मचा दी कि उनके काफिले पर मुख्य विपक्षी दल राजद के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जो इलाके के मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे थे। लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ भाजपा नेता ने स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि वह इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाएंगे। कथित घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डीजीपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने ज्ञानेश कुमार के हवाले से कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने बताया कि उस इलाके में मतदान जारी है जहां सिन्हा ने आरोप लगाया था कि उनके काफिले पर राजद समर्थकों ने हमला किया था। एसपी ने कहा, मुझे टूटी सड़कों को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शनों की खबरें मिली हैं, लेकिन मैं घटनास्थल का दौरा करने के बाद ही पुष्टि कर पाऊंगा कि असल में क्या हुआ था। वहीं, इस घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया है कि भीड़ में राजद के गुंडे हैं। गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट नहीं देने दिया है। खुड़ियारी गांव के 404 और 405 बूथ नंबर हैं। सिन्हा ने आगे यह भी कहा कि उनको पता है कि एनडीए सत्ता में आ रही है इसलिए उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा।

वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप: ममता बोलीं, मेरे फॉर्म लेने की खबर झूठी और अफवाह

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए गणना फॉर्म स्वीकार करने के किसी भी दावे को खारिज करते हुए कहा कि जब तक बंगाल में हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता, तब तक वह ऐसा करने से बचेंगी। बनर्जी पश्चिम बंगाल और 11 अन्य राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में फर्जी वोट डालने के लिए कर रही है। बनर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेगा, मैंने खुद कोई फॉर्म नहीं भरा है और न ही भरूंगी। विभिन्न मीडिया और अखबारों ने प्रकाशित किया है कि मैं अपने घर से बाहर आई और अपने हाथों से बीएलओ से गणना फॉर्म प्राप्त किया! यह खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और जानबूझकर किया गया दुष्प्रचार है। उनके अनुसार, बुधवार को एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) उनके कालीघाट स्थित आवास पर आए और इलाके के कुछ निवासियों को गणना फॉर्म दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ प्रभारी कल अपना विशिष्ट कार्य करने हमारे मोहल्ले में आए थे। कार्यक्रम में, वे मेरे निवास कार्यालय में आए - कुछ स्थानीय मतदाता उन्हें जानते हैं और उन्होंने फॉर्म भेज दिया। इससे पहले 4 नवंबर को, कई मीडिया संस्थानों ने बताया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य में एसआईआर के लिए फॉर्म स्वीकार कर लिया है।

बिहार चुनाव से पहले राजनाथ का बड़ा चुनावी दांव : नीतीश ने विकास किया, राजद ने भय फैलाया

सीतामढ़ी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेदाग रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में कोई भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने बिहार में राजद सरकार को काम करते देखा है। पिछले 20 सालों से आप नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार देख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि हालांकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ, लेकिन थोड़ा और काम होता तो बेहतर होता।

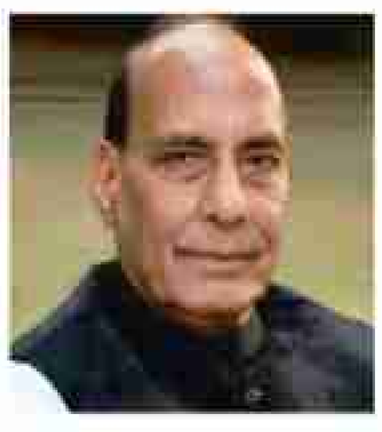

लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी ने बिहार को एक प्रगतिशील राज्य और एक विकसित भारत की ओर अग्रसर राज्य बनाने के लिए काम किया है, तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 20 सालों में चाहे कोई भी उनका विरोधी रहा हो, कोई भी नीतीश कुमार पर उंगली उठाकर यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। सिंह ने राजद पर अपने शासनकाल में भय और अपराध का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय गुंडे और अपराधी खुलेआम घूमते थे। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार में लोग गर्व से कह सकते हैं कि बिहार एक विकसित और सुरक्षित राज्य बन गया है। सिंह ने कहा, राजद के शासनकाल में गुंडों और अपराधियों का बोलबाला था... हर कोई असुरक्षित महसूस करता था। अगर किसी ने बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, तो वह राजद है। राजद के शासनकाल में गुंडों और अपराधियों का बोलबाला था और वे खुलेआम बंदूक लेकर घूमते थे... क्या राजद बिहार में फिर से ऐसे ही हालात पैदा करना चाहता है?